

जीजेइपीसी / पी / आरएनडब्ल्यू / 2012-13

दिनांक 25 मार्च, 2013

सेवा में,
परिषद के समस्त एसोसिएट सदस्य/साधारण सदस्य,

विषय :- परिषद में अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक की सदस्यता का नवीनीकरण

माननीय सदस्यगण,

आपको सूचित किया जाता है कि परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएसन के अनुसार लेखा वर्ष 2013-2014 हेतु सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2013 अथवा उससे पूर्व किया जाना अपेक्षित है।

गत वर्ष की तरह परिषद की वेबसाइट www.gjepc.org के माध्यम से सदस्यों को वर्ष 2013-2014 के सदस्यता नवीनीकरण के आवेदन को ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध है।

वर्ष 2013-2014 का सदस्यता शुल्क वित्त वर्ष 2012-2013 के निर्यात के आधार पर देय है। 1 अप्रैल 2013 से लागू शुल्क तथा सदस्यों हेतु दिशा निर्देश परिशिष्ट-1 तथा सदस्यता आवेदन जमा करने की नियमावली परिशिष्ट-2 और प्रयोक्ता मैनुयल परिशिष्ट-3 संलग्न है। इसके साथ प्रयोक्ता मैनुयल ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दिशा निर्देश के साथ परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संवर्धन एवं विकास कोष :- 22 फरवरी 2013 के प्रशासनिक समिति की बैठक में ए एण्ड एफ उप समिति के प्रस्ताव, कनवेंशन सेन्टर के विकास तथा हीरा एवं रत्न आभूषण के जनैरिक प्रमोशन की सिफारिश पर विचार किया।

मुंबई में कनवेंशन सेन्टर विकसित करने के लिए प्रशासनिक समिति ने परिषद के सदस्यों से वर्ष 2012-13 के आयात के आधार पर अप्रैल 2013 से 0.01% मूल्यानुसार राशि संकलित करने का निर्णय लिया। हीरा एवं रत्न आभूषण के जनैरिक प्रमोशन हेतु प्रशासनिक समिति ने चर्चा कर के अतिरिक्त 0.01% राशि परिषद के सदस्यों से वर्ष 2012-2013 के आयात के आधार पर संकलित करने की मंजूरी दी। मूल्यानुसार कुल राशि पर 12.36% सेवा-कर भी देय होगा। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि 0.02% मूल्यानुसार राशि कुल आयात के आधार पर सदस्यता शुल्क के साथ जमा करें।

मूल्यानुसार 0.02% की गणना हेतु निम्नांकित को रत्न तथा आभूषण के कच्चे माल का आयात माना जायेगा।

घरेलू शुल्क क्षेत्र में आयात :

1. सीधे आयात किया गया रत्न तथा आभूषण का कच्चा माल तथा तैयार माल और निजी/सार्वजनिक बॉन्डेड वेअर हाउस में आयातीत कच्चा एवं तैयार माल।
2. सभी कीमती धातुओं जैसे स्वर्ण, चाँदी, प्लैटिनम एवं उनकी फाउंडिंग/माउंटिंग चाहे सीधे आयात किये गए हों या नॉमिनेटेड एजेन्सी के माध्यम से आपूर्ति हुई हो।

कृ.पू.उ.

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
The Gem & Jewellery Export Promotion Council

क्षेत्रीय कार्यालय: F-17-18, फ्लैटेड फैक्ट्रिज कॉम्प्लेक्स,
झंडेवालान, नई दिल्ली-110 055, (भारत)
Regional Office : F-17-18, Flatted Factories complex,
Jhandewalan, New Delhi-110 055. (India)
फोन/Tel. : 91-11-4626 6920 to 4626 6926 फैक्स/Fax : 91-11-2367 5274
ई-मेल/E-mail : delhi@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

मुख्य कार्यालय: टॉवर-अ, अडब्ल्यू-1010, जी. ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. (भारत)
Head Office : Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India)
फोन/Tel. : 91-22-2654 4600 फैक्स/Fax : 91-22-2652 4764.
ई-मेल/E-mail : gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com
वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

ईओयू /एसईजेड यूनिट में आयात :

सीधे आयात किया गया रत्न तथा आभूषण का कच्चा माल तथा तैयार माल एवं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (घरेलू आयात / निर्यात का क्षेत्र) या नोमिनेटेड एजेन्सी द्वारा की गई आपूर्ति।

सदस्यता का नवीनीकरण यदि देय मूल्यानुसार राशि के साथ नहीं किया गया तो संस्थान को परिषद के किसी भी कार्यक्रम जैसे कि देश/विदेशों आयोजित प्रदर्शनी, प्रतिनिधि मंडल, कंता-विकेता सम्मेलन, पुरस्कार, परिपत्र, सोलिटैअर इन्टरनेशनल आदि के लाभ से वंचित रखा जायेगा तथा इसकी परिणती आरसीएमसी के निलंबन क रूप में भी किया जा सकता है।

सदस्यता शुल्क भरने की प्रक्रिया गत वर्ष की तरह ही है, चलान क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करने है। जोकि परिषद के वेबसाइट के माध्यम से आपके डैसबोर्ड पर उपलब्ध है। परिषद के वर्तमान सदस्य www.gjepc.org पर जाकर अपना यूजर नेम एवं पासवर्ड द्वारा सदस्यता विभाग में लॉग इन कर सकते हैं।

देय शुल्क परिषद के खाते में क्रेडिट होने के बाद ही सदस्यता जारी की जायेगी तथा सदस्यता जारी रखने हेतु चलान पर उल्लिखित तारीख के स्थान पर परिषद के खाते में देय राशि स्थानांतरित होने की तारीख को भुगतान की तिथि माना जायेगा।

यदि किसी सदस्य को सदस्यता प्रमाण पत्र की तत्काल आवश्यकता हो तो वे देय सदस्यता शुल्क का भुगतान जीजेईपीसी के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में जमा कराए।


सदस्यों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाएं जैसे प्रदर्शनी इत्यादि के साथ केपी शुल्क में रियायत का, बिना किसी रुकावट के सतत लाभ लेने हेतु अपनी सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2013 अथवा उससे पूर्व अवश्य कर लें।

ध्यान रखें कि यदि सदस्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान 1 मई अथवा उसके पश्चात किया गया है तो इस दौरान जारी किये गए सभी के.पी. प्रमाण-पत्र के लेन-देन (आयात-निर्यात) के अन्तर राशि का भुगतान संबद्ध सदस्य को 1 अप्रैल 2013 से बैंक में सदस्यता शुल्क परिषद के खाते में जमा होने की तारीख तक का करना होगा।

किसी भी जानकारी एवं संशय के समाधान हेतु आप सदस्यता विभाग से फोन नं० **011-46266920** से **46266925** या madaan@gjepcindia.com पर कर सकते हैं।

धन्यवाद,

कृते रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद



केवल के. दुग्गल

क्षेत्रीय निदेशक-उत्तर

संलग्नक : उपरोक्त वर्णित

परिशिष्ट-1

वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए सदस्यता शुल्क

- सदस्यता शुल्क :** वर्ष 2013-14 के लिए सदस्यता शुल्क चालान में दर्शाए गए निर्यात एवं आयात की स्वतः घोषणा के साथ वर्ष 2012-13 में फर्म के निर्यात निष्पादन के अनुसार देय होगा।
- मूल्यानुसार :** सभी रत्न तथा आभूषण के आयात, एवं निर्यातकों को वर्ष 2012-2013 में नामांकित एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये कीमती धातु के मूल्यानुसार 0.02% देय है।
- सेवा कर :** दिनांक 07-07-2009 की अधिसूचना सं. 16/2009-एसटी के अनुसार प्रवेश शुल्क और सदस्यता पर 12.36% की दर से सेवा कर लागू होगा।
- वर्ष 2013-14 के लिए आपकी एसोसिएट सदस्यता/साधारण सदस्यता के नवीनीकरण हेतु आपके द्वारा निम्नलिखित राशि देय है :

वर्ष 2012-2013 के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात निष्पादन	वर्ष 2013-2014 के लिए सदस्यता शुल्क ₹	सेवा कर 12.36% की दर से ₹	देय कुल शुल्क ₹
25 लाख ₹ तक निर्यात	6000/-	742/-	6742/-
25 लाख ₹ से अधिक और 1 करोड़ ₹ तक निर्यात	10000/-	1236/-	11236/-
1 करोड़ ₹ से अधिक और 5 करोड़ ₹ तक निर्यात	15000/-	1854/-	16854/-
5 करोड़ ₹ से अधिक और 15 करोड़ ₹ तक निर्यात	30000/-	3708/-	33708/-
15 करोड़ ₹ से अधिक और 50 करोड़ ₹ तक निर्यात	40000/-	4944/-	44944/-
50 करोड़ ₹ से अधिक और 100 करोड़ ₹ तक निर्यात	65000/-	8034/-	73034/-
100 करोड़ ₹ से अधिक और 500 करोड़ ₹ तक निर्यात	100000/-	12360/-	112360/-
500 करोड़ ₹ से अधिक निर्यात और 1000 करोड़ ₹ तक निर्यात	150000/-	18540/-	168540/-
1000 करोड़ ₹ से अधिक निर्यात	200000/-	24720/-	224720/-

नये सदस्य के लिए शुल्क / विलम्ब से नवीनीकरण शुल्क ₹ 5000/- + सेवा कर @ 12.36%

- बकाया भुगतान :** विधिवत बुलाई गई प्रशासन समिति (सीओए) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह भी नोट किया गया कि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में परिषद का किसी सदस्य पर बकाया कोई या सभी भुगतान को वित्त वर्ष 2013-14 के लिए संबद्ध फर्म की सदस्यता के नवीनीकरण के समय गंभीरता से लिया जाएगा यदि वह परिषद की संतुष्टि के अनुरूप न्यायोचित नहीं है।

पृ० 1/4

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Council

क्षेत्रीय कार्यालय: F-17-18, फ्लैटेड फैक्टरीज कॉम्प्लेक्स,
झंडेवाला, नई दिल्ली-110 055, (भारत)
Regional Office : F-17-18, Flatted Factories complex,
Jhandewalan, New Delhi-110 055. (India)
फोन/Tel. : 91-11-4626 6920 to 4626 6926 फैक्स/Fax : 91-11-2367 5274
ई-मेल/E-mail : delhi@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

मुख्य कार्यालय: टॉवर-अ, अडब्ल्यू-1010, जी. ब्लॉक, भारत डायमंड बॉर्स,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. (भारत)
Head Office : Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India)
फोन/Tel. : 91-22-2654 4600 फैक्स/Fax : 91-22-2652 4764.
ई-मेल/E-mail : gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com
वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाए कि परिषद को देय सभी भुगतानों को उस स्थिति में बकाया माना जाएगा यदि वह परिषद की ओर बकाया और देय हो और वह परिषद द्वारा जारी किए गए बिल की तारीख से 3 (तीन) माह से अधिक समय से बकाया हो तो इस संबंध में परिषद के निर्णय को अंतिम माना जाएगा यदि बिल की राशि के कोई असंगति/विवाद हो तो ऐसे बिल जारी करने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर परिषद की जानकारी में न लाया गया हो उसे भी बकाया माना जाएगा।

6. **कंपनी समूह :** सदस्यों के लिए यह नोट करना अनिवार्य है कि कंपनी समूह की प्रत्येक कंपनी के लिए सदस्यता का नवीनीकरण करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर सदस्यता केवल उस कंपनी विशेष के लिए ही वैध मानी जाएगी जिसने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लिया है और जिसका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र और प्राप्ति चालानों में दर्शाया गया है। कृपया ज्ञात रहे कि परिषद द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन्हीं सदस्यों को प्रदान की जाएंगी जिनके नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, प्राप्ति चालान, सदस्यता प्रमाण-पत्र और परिषद द्वारा जारी आसीएमसी में दर्शाए गए हों। अतः यह उल्लेखनीय है कि किसी समूह में आने वाली प्रत्येक कंपनी को निहित शर्तों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहिए।
7. **नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना :** संस्था के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 13.1 के प्रावधानों के अनुसार यदि सदस्य अपनी सदस्यता का नवीनीकरण निर्धारित समय पर करने में असफल रहा हो तो उसे प्राप्त विशेषाधिकार निम्नांकित तक ही सीमित नहीं रहेगी।
- ★ भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी।
 - ★ प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी।
 - ★ क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी।
 - ★ वार्षिक पुरस्कार हेतु नामांकन।
 - ★ सॉलिटोर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति।
 - ★ सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति।
 - ★ वीजा हेतु संस्तुति पत्र।
 - ★ विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार संवर्धन दौरो, विदेश में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भागीदारी हेतु अनुमतियाँ।

सामान्य नियम एवं विनियम

1. सदस्यता नियमों के बारे में मेमोरंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के परिच्छेद-1 और सदस्यता हेतु मापदंड।
3. सदस्यों की श्रेणियाँ एवं सदस्यता की अहर्ताएं
- 3.1. परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ.

परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी अर्थातः

- (क) एसोसिएट सदस्य :
- (ख) साधारण सदस्य :

3.2. एसोसिएट सदस्य

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।

3.3. साधारण सदस्य

परिषद की साधारण सदस्यता हेतु पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए, अर्थातः

- (क) वह अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक परिषद की एसोसिएट सदस्य होनी चाहिए।
- (ख) उसके अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के खाते में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एसोसिएट सदस्य हो।

(ग) उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात नीचे उल्लिखित राशि से कम नहीं होने चाहिए।

(i) लघु उद्योग 10 लाख ₹

(ii) अन्य 25 लाख ₹

8. परिषद की सदस्यता हेतु अयोग्यताएँ।

8.1. अयोग्यता

कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि

(क) उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असक्षम पाया गया हो;

(ख) उसने दिवालियापन हेतु न्याय-निर्णयन हेतु आवेदन किया हो अथवा ऐसा न्यायिक आदेश निर्णित हो गया हो;

(ग) उसे किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और उसे 6 माह से अधिक के कारागार की सजा सुनाई गई हो;

(घ) उसने अथवा ऐसी किसी फर्म जिसका वह भागीदार है अथवा ऐसी किसी निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, ने अधिनियम की धारा 295 या धारा 299 का उल्लंघन किया हो;

(ङ) वह अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश द्वारा अयोग्य बन गया हो;

(च) वह उस कंपनी का सदस्य न रह गया हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा ऐसी कंपनी जो परिषद की सदस्य न रह गई हो;

(छ) अनुच्छेद 8.2 के अंतर्गत उसका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो;

8.2. समिति द्वारा निष्कासन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद किसी विशिष्ट अवधि के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए उक्त सदस्य के नाम को सदस्य रजिस्टर से हटा सकती है;

- यदि उसने सदस्यता की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, अथवा
- यदि उसके पास सदस्यता शुल्क अथवा परिषद को उसकी ओर से देय किसी अन्य राशि का भुगतान 6 माह से अधिक समय तक लंबित पड़ा हो, अथवा
- यदि वह परिषद या समिति की बैठकों में असमान्य आचरण का दोषी पाया गया हो; अथवा
- यदि उसे अन्यथा सदस्य बनने में आचरणगत दोषी पाया गया हो, अथवा
- यदि वह अनुच्छेद 8.1 के अंतर्गत अयोग्य बन गया हो;

8.3 एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद साधारण सदस्य की सदस्यता को एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तित कर सकती है यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बाद वित्त वर्ष के दौरान उत्पाद के निर्यातक के रूप में उसका निर्यात निष्पादन अनुच्छेद 3.2 के खण्ड (ख) में उल्लिखित औसत से कम रहा हो।

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Council

क्षेत्रीय कार्यालय: F-17-18, फ्लैटेड फैक्टरीज कॉम्प्लेक्स,
झंडेवालान, नई दिल्ली-110 055, (भारत)

Regional Office : F-17-18, Flatted Factories complex,
Jhandewalan, New Delhi-110 055. (India)

फोन/Tel. : 91-11-4626 6920 to 4626 6926 फैक्स/Fax : 91-11-2367 5274

ई-मेल/E-mail : delhi@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

मुख्य कार्यालय: टॉवर-अ, अडब्ल्यू-1010, जी. ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. (भारत)

Head Office : Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India)

फोन/Tel. : 91-22-2654 4600 फैक्स/Fax : 91-22-2652 4764.

ई-मेल/E-mail : gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com

वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

11. सदस्यों के विशेषाधिकार

11.1. साधारण सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एवं आर्टिकल में साधारण सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ इन अंतर्नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन साधारण सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे अर्थात :

- (क) समिति के सदस्य के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और वोट देने का अधिकार तथा परिषद के किसी बैठक में लाए गए सभी मामलों पर वोट देने का अधिकार बशर्ते मतदान के वर्ष में 1 अप्रैल को उनके द्वारा परिषद की तरफ अंशदान अथवा अन्य राशि अथवा प्रभार की कोई राशि बकाया न हो।
- (ख) इन अंतर्नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार बैठक का आग्रह करने का अधिकार;
- (ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करने का अधिकार;
- (घ) निर्धारित शर्तों पर परिषद का प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (ङ) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।

11.2. एसोसिएट सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल में सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, अर्थात

- (क) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (ख) निर्धारित शर्तों पर परिषद के प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (ग) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं *का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए।

★ सुविधाएं, अर्थात

- (i) भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी.
- (ii) प्रतिनिधिमंडल.
- (iii) क्रेता-विक्रेता सम्मेलन.
- (iv) वार्षिक पुरस्कार.
- (v) सॉलिटेयर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- (vi) सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- (vii) वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- (viii) विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों हेतु व्यक्तिगत रूप से ले जाने वाली मदों के बारे में अनुमति.

11.3. नामांकित एवं सहयोजित सदस्य

किसी नामांकित या सहयोजित सदस्य के पास मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

13. विशेषाधिकार का स्थगन

13.1. अंशदान का भुगतान न करना

यदि कोई सदस्य (साधारण या एसोसिएट), जिस वर्ष के लिए अंशदान देय बनता है, उस वर्ष की 30 अप्रैल तक अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

- (क) वह ऐसे सदस्य के रूप में किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा, और
- (ख) समिति उसकी सदस्यता निलंबित कर सकती है, उसका निलंबन तब तक रहेगा जब तक वह बकाया भुगतान नहीं करता और लिखित आवेदन को समिति मंजूर कर निलंबन को निरस्त कर सदस्यता को पुनः बहाल नहीं करती है।

समाप्त

परिशिष्ट-2

नवीनीकरण हेतु सदस्यता शुल्क को जमा करने की विधि।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने खुद के हित में नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और कोई कठिनाई होने की स्थिति में तत्काल परिषद से संपर्क करें।

- वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनीकरण आवेदन फार्म पूरी तरह से आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए और उस पर विधिवत मुहर लगी हो और उस पर भागीदार/मालिक/फर्म के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए होने चाहिए।
- पूर्ण रूप से भरा हुआ सदस्यता नवीनीकरण आवेदन पत्र **क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली** को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- देय शुल्क परिषद के खाते में क्रेडिट होने के बाद ही सदस्यता जारी की जायेगी तथा सदस्यता जारी रखने हेतु चलान पर उल्लिखित तारीख के स्थान पर परिषद के खाते में देय राशि स्थानांतरित होने की तारीख को भुगतान की तिथि माना जायेगा।
- यदि किसी भी सदस्य को सदस्यता प्रमाण-पत्र की तत्काल आवश्यकता हो तो वे देय सदस्य शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा "रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद" के नाम से **क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली** में जमा कराए।
- वेबसाइट से चालान की तीन प्रतियों को मुद्रित किया जा सकता है, और उसे सदस्यता शुल्क और सदस्यता आवेदन फॉर्म के साथ उपरोक्त क्रम संख्या 2 के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में भेजें।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के रिकार्ड के लिए चालान की एक फोटोकॉपी रख लें।
- भुगतान चालान को पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
- निर्यात/आयात की घोषणा चालान के निगमित शामिल मामले के रूप मालिक/भागीदार/निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और फर्म की मुहर के साथ बिना किसी भी गलती के जमा किया जाना चाहिए। हर ऐसे स्वयं घोषणा को परिषद द्वारा सही और वैध अर्थ लगाया जाएगा और इस प्रकार सरकार के एक प्राधिकारी या संस्था की तरह के तहत आदेश प्रसार के लिए माना जाएगा। ऐसे किसी त्रुटिपूर्ण घोषणा के सदस्य परिषद को क्षतिरहित रखने के लिए सहमत हैं, जो कि सुरक्षित और हानिरहित होने के साथ किसी भी तीसरे पक्ष के आयात/निर्यात के घोषित दावे के प्रसार में से यदि कोई भी झूठ निकला तो यह झूठ की क्षतिपूर्ति सदस्य की जिम्मेदारी होगी।
- सदस्यता शुल्क के लिए एफओबी के आधार पर भुगतान किया जाना आवश्यक है जो वर्ष 2012-2013 के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात वस्तुओं (01/04/2012 से 31/03/2013 तक यानी, दोनों दिन शामिल) के मूल्य के रूप में परिशिष्ट-1 में दिखाया गया है।
- सदस्यता शुल्क पर लागू सेवा कर, बैंक चालान में निर्दिष्ट स्तंभ पर अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर के सदस्यों को अपने सदस्यता आवेदन पत्र तथा चालान को "रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद" के पक्ष में नई दिल्ली में देय वर्ष 2013-14 हेतु देय कुल राशि के डिमांड ड्राफ्ट के साथ **क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली** को भेजना चाहिए।
- सदस्यता नवीकरण फार्म विधिवत भागीदार/मालिक/फर्म के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, भरे गए फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की रबर स्टेम्प मुहर लगी होनी आवश्यक है, जिसके निर्धारित दिशा निर्देश और विवरण परिषद के वेबसाइट (www.gjepc.org) पर उपलब्ध हैं।

समाप्त

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

क्षेत्रीय कार्यालय: F-17-18, फ्लैटेड फैक्टरीज कॉम्प्लेक्स,
झंडेवालान, नई दिल्ली-110 055, (भारत)

Regional Office : F-17-18, Flatted Factories complex,
Jhandewalan, New Delhi-110 055. (India)

फोन/Tel. : 91-11-4626 6920 to 4626 6926 फैक्स/Fax : 91-11-2367 5274

ई-मेल/E-mail : delhi@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

मुख्य कार्यालय: टॉवर-अ, अडब्ल्यू-1010, जी. ब्लॉक, भारत डायमंड बॉर्स,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. (भारत)

Head Office : Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India)

फोन/Tel. : 91-22-2654 4600 फैक्स/Fax : 91-22-2652 4764.

ई-मेल/E-mail : gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com

वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

परिशिष्ट—3

Follow the Steps to Renew for the membership online (www.gjepc.org)

RENEWAL OF MEMBERSHIP

1. Go to www.gjepc.org
2. Use your existing login & password or in case of forgot password click on the forgot password link. You will get link with new password in your e-mail.
3. My GJEPC Dashboard will get displayed after login.
4. Click on "Membership Portal "and then click on "Renew Membership" and you will be directed to challan form.
5. Fill in the Export / Import turnover for previous year.
6. Fill in the Cheque / DD No. & other details in challan form.
7. Click on "Submit" button.
8. Print 3 copies of Bank Challan & one copy of Renewal Application from the Renewal Membership Option.
9. Submit the Payment in the Bank and send one copy of Bank Challan along with Membership Application form to GJEPC.

GENERAL TIPS

1. It is recommended to use Mozilla Firefox 4.0 or IE - 7 for speed and smoothness while using GJEPC website.
2. If I.E. Code not accepted due to any reason, please send e-mail at membership@gjepcindia.com mentioning the Company Name and IEC code. Please wait for reply from membership department as we need to check the IEC code and status of member in ERP for 11-12.
3. In case of any technical problems faced while filling up the information after getting user name and password, please send the same to membership@gjepcindia.com with the nature of query. An online helpdesk will also be available.